यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी, आर.ए.एस.
कदमा नम्बर 40/2022 प्रार्थनापत्र
गदीश पुत्र श्री रूपा कुमावत आयु वयस्क निवासी–धनकपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
––– प्रार्थी

बनाम

नैनू पुत्र श्री मूला कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर
श्रीमती बरजी पत्नी मूला कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर
सोहन पुत्र श्री मूला कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर
हरिराम पुत्र श्री मूला कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
कन्हैया लाल पुत्र श्री गणेश कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर
श्रीमती टमु पत्नी श्री गणेश कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर
पप्पू लाल पुत्र श्री गणेश कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर
शांति लाल पुत्र श्री गणेश कुमावत आयु वयस्क निवासी– धनकपुर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
0. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर विलय भारतीय स्टेट बैक शाखा बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

–– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

. श्री अशोक कुमार लखारा	––अधिवक्ता प्रार्थी
2. एकपक्षीय	–– विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 व 10
. पेरोकार सरकार	––विपक्षी संख्या 09

:: निर्णय :: दिनांक 02.09.2024

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद धनकपुर पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1448 रकबा 1.5429 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3823/1465 रकबा 0.3415 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 05 लगायत 08 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.1129 हैक्टयर से होकर जाता है, उक्त रास्ता 2 गटा (16 फीट) चौडाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस शामिल होने के पश्चात विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 04 द्वारा भूमि के बदले भूमि देने पर रास्ता देने हेतु सहमति दी, जिस हेतु प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 05 लगायत 08 भी सहमत है। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

र प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, त तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को हराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न त रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या लगायत 08 की आराजी नम्बर 1448, 3823/1465 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 आराजी नम्बर 1465 रकबा 1.1129 हैटयर की पूर्वी मेड़ की तरफ आराजी नम्बर 1448 की दक्षिणी मेड पूर्वी कोने तक का रकबा 12 फीट चौडाई रखते हुए 0.0146 हैक्टयर बनता है, जिसकी रास्ते की पूर्ति मे प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 05 लगायत 08 की आराजी नम्बर 1448 की दक्षिणी मेड़ पर रकबा 0. 6 हैक्टयर भूमि विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर दर्ज की जाना उचित माना है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी सरहद धनकपुर पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा आराजी नम्बर 1448 रकबा 1.5429 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3823/1465 रकबा 0.3415 हैक्टयर मे आने के लिए विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी नम्बर 1465 की पूर्वी मेड़ के सहारे 12 फीट ाई मे 0.0146 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना व उसकी क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रार्थी एवं क्षी संख्या 05 लगायत 08 की आराजी नम्बर 1148 की दक्षिणी मेड़ पर 0.0146 हैक्टयर भूमि विपक्षी या 01 लगायत 04 को रास्ते की क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलायी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त चन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद धनकपुर पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख क्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1448 रकबा 1.5429 हैक्टयर, जी नम्बर 3823/1465 रकबा 0.3415 हैक्टयर मे आने जाने के लिए विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की जी नम्बर 1465 की पूर्वी मेड़ के सहारे 12 फीट चौडाई मे 0.0146 हैक्टयर भूमि कृषि कार्य हेतु आने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने आज्ञा पारित की जाती है व साथ ही उक्त रास्ते की क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 05 यत 08 की आराजी नम्बर 1148 की दक्षिणी मेड़ पर 0.0146 हैक्टयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 05 यत 08 के खाते से कम कर विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से करायी जावे। उक्तानुसार तहसीलदार साहब, करेड़ा उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)